न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी :– कमल राम मीना, आर.ए.एस.

अपील सं0:–25/2011 (223 आर.टी.एक्ट)

उनवान

1. रामदयाल पुत्र स्व0 धित्तू जाति तेली,
2. दीनदयाल पुत्र स्व0 धित्तू जाति तेली,
3. मु0 धूपा पत्नी स्व0 धित्तू जाति तेली समस्त निवासीयान लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर राज0 ।
4. ईश्वर पति स्व0 मु0 कौशल्या जाति तेली,
5. पवन पुत्र स्व0 मु0 कौशल्या जाति तेली,
6. संजय पुत्र स्व0 मु0 कौशल्या जाति तेली समस्त निवासीयान नूंह तहसील नूंह (हरियाणा)
7. श्रीमती विद्या पुत्री स्व0 मु0 कौशल्या पत्नी श्री फूलचन्द जाति तेली निवासी फिरोजपुर झिरका तहसील फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)
8. श्रीमती आनन्दी पुत्री स्व0 मु0 कौशल्या पत्नी श्री विजय जाति तेली निवासी फरीदाबाद (हरियाणा)
9. श्रीमती अनिता पुत्री स्व0 मु0 कौशल्या पत्नी श्रीराम जाति तेली निवासी धण्टाघर के पास टोंक ।
10. मु0 फूलवती पुत्री स्व0 धित्तू पत्नी श्री औमप्रकाश जाति तेली निवासी पुन्हाना तहसील फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)
11. मु0 विद्या पुत्री स्व0 धित्तू पत्नी श्री इन्द्रजीत जाति तेली निवासी. फिरोजपुर झिरका (हरियाणा)

..... वादीगण/ अपीलांट

बनाम

1. पूरण पुत्र रामचन्द्र जाति तेली निवासी लक्ष्मणगढ़ जिला अलवर ।

..... प्रति0/रेस्पोडेन्टान

उपस्थित :–
1. श्री भरत जैन अभिभाषक अपीलांट ।
2. श्री उमाशंकर खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पो0 ।

::: निर्णय :::

दिनांक :–20.07.2018

यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय दिनांक 28.2.2011 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा इस्तकरारहक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी इस आशय का प्रस्तुत किया कि हाल आराजी ख0 नं0 581 रकबा 2 बीधा 5 बिस्वा वाके ग्राम लक्ष्मणगढ़ में स्थित है जो साबिक ख0 नं0 455 रकबा 1 बीधा 5 बिस्वा, 474 रकबा 15 बिस्वा, 475 रकबा 16 बिस्वा, 476 रकबा 8 बिस्वा से मिलकर हाल ख0 नं0 581 बना है । उक्त आराजी वादी के कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी है जिस पर वादी राज0 काश्तकारी अधिनियम व जब्ती बिश्वेदारी उन्मूलन के पूर्व से बदस्तूर काबिज रहकर काश्त करता चला आ रहा है व मौके पर आज भी वादी का कब्जा है जिसमें वादी की बोई चना व सरसों की फसल खड़ी है । विवादित आराजी को वादी ने तत्कालीन बिस्वेदार के बिस्वेदारी जब्ती के समय दबाया था जिस पर लगातार वादी का कब्जा चला आ रहा है तथा साबिक रेकार्ड में वादी की खातेदारी का इन्द्राज चला आ रहा है । प्रतिवादी जो वादी का सगा छोटा भाई है उसका इस आराजी से कोई सरोकार नहीं है । प्रतिवादी ने हाल बन्दोबस्त कर्मचारियों से साजबाज होकर बाला–बाला एकतरफा में विवादित आराजी को स्वयं की खातेदारी में दर्ज करवा लिया है । बन्दोबस्त कर्मचारियों को मुताबिक पूर्व रेकार्ड वादी के नाम खातेदारी में दर्ज करनी चाहिए थी लेकिन बन्दोबस्ती इन्द्राज खिलाफ कानून एवं नियम विरूद्ध है । अतः विवादित आराजी ख0 नं0 हाल 581 रकबा 2.05 बीधा का वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने की प्रार्थना की । अधीनस्थ न्यायालय ने दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तलब किया । विद्धान अधिनस्थ न्यायालय ने दोनों पक्षों की बहस सुनकर वादी का वाद दि0 28.2.2011 को खारिज कर दिया जिस निर्णय व डिक्री दि0 28.2.2011 से व्यथित होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है ।

अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । रेस्पो0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया । तहत अदालत की पत्रावली तलब करते हुए विद्धान अभिभाषकगण की बहस सुनी गयी ।

विद्धान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने गलत रूप से वादीगण का दावा खारिज किया है जबकि वादीगण द्धारा प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2011 एवं 2015 से वाद वादीगण बखूबी साबित था । तहत न्यायालय ने केवल इस आधार पर दावा वादीगण सम्पूर्ण खारिज किया है कि ख0 नं0 455, 476 का रकबा मिलान नहीं खाता है जबकि इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि जमाबन्दी सम्वत् 2011 में स्पष्ट रूप से ख0 नं0 475, 476, 455 पर वादीगण के पिता स्व0 धित्तू वल्द रामचन्दर तेली सा0देह गैर मौरूसी साल 3 एवं जमाबन्दी सम्वत् 2015 में ख0 नं0 455, 475 एवं 476 पर वादीगण के पिता स्व0 धित्तू वल्द रामचन्दर तेली सा0देह खातेदार अंकित है । इस प्रकार वादीगण के पिता विवादित आराजीयात पर वक्त लागू होने राजस्थान टिनेन्सी एक्ट एवं जब्ती बिश्वेदारी के समय बतौर खातेदार टिनेन्ट काबिज थे तथा सैटलमेन्ट सम्वत् 2028 से पहले रेस्पो0 प्रतिवादी पूरण का किसी भी विवादित आराजी पर कहीं भी नाम अंकित नहीं है तो सैटलमेन्ट ने सम्वत् 2028 में वादीगण के पिता धित्तू का नाम कलमजन कर बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के प्रतिवादी पूरण का नाम किस आधार पर अंकित कर दिया । विद्धान तहत न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर नहीं किया कि ख0 नं0 455 व 476 दोनों मिन नम्बर हैं जिस कारण मिलान क्षेत्रफल से रकबा कम या अधिक होना

कोई मायने नहीं रखता है । तहत न्यायालय ने इस बिन्दु पर भी गौर नहीं किया कि साबिक ख0 नं0 476 मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 से पूरी तरह मेल खाता है जिस कारण जितना रकबा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–3 से साबिक ख0 नं0 455 मिन, 475 एवं 476 मिन का मेल खाता है । सैटलमेन्ट से पूर्व प्रतिवादी पूरण का किसी भी राजस्व रेकार्ड में नाम अंकित नहीं है जबकि वादी धित्तू बतौर खातेदार काश्तकार मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2011 एवं 2015 में दर्ज रेकार्ड है । कमिश्नर रिपोर्ट दि0 9.11.95 का भी तहत न्यायालय ने गौर नहीं किया जिससे भी हाल ख0 नं0 581 पर वादीगण का कब्जा साबित था । उक्त वाद की वादिनी सं0 1/3 कौशल्या का दि0 4.12.2010 को निधन हो गया जिसके वारिसांन अपीलांट सं0 4 ल0 9 है जिस कारण मृतक के विरूद्ध उक्त डिक्री व निर्णय पारित होने से भी शून्य व अवैध होने से निरस्तनीय है । इसलिए तहत न्यायालय का निर्णय व डिक्री त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त योग्य है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावें । उन्होंने अपने समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 277, आर.आर.डी. 1992 पेज 634 पेश की

विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने मात्र रेस्पो0 को परेशान करने की नियत से तहत न्यायालय में दावा पेश किया था तथा दबाव बनाकर राजीनामा करना चाहता है । विवादित आराजी अपीलांट की कब्जे काश्त एवं खातेदारी की आराजी नहीं है और न ही विवादित आराजी पर राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 व जब्ती बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम के पूर्व से अपीलांट का कब्जा ही चला आ रहा है, न अब कब्जा है तथा न पहले कब्जा था । अपीलांट ने विवादित आराजी बिश्वेदार से न तो काश्त पर ली थी और न ही बिश्वेदार से यह जमीन दाबी है । हमारे द्वारा बन्दोबस्त विभाग के कर्मचारियों से कोई साजबाज होकर अपनी खातेदारी का गलत इन्द्राज नहीं कराया बल्कि विवादित आराजी कानूनन सही रूप से हमारे नाम खातेदारी काश्तकार में दर्ज है और राजस्व रेकार्ड में सही इन्द्राज किया है । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय ने विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पारित की है जिसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है । इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावें ।

हमने विद्वान अभिभाषकगण की बहस सुनी एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया । पत्रावली में उपलब्ध अपील के तथ्यों, वाद के तथ्यों का अवलोकन करते हुए तहत न्यायालय के निर्णय दिनांक 28.02.2011 का अवलोकन किया तथा पेश कानूनी नजीरों का ससम्मान अवलोकन किया ।

अपीलांट अभिभाषक का तहत न्यायालय में वाद पेश कर कथन था कि विवादित आराजी ख0 नं0 581 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा है और जो साबिक ख0 नं0 455 रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा, 474 रकबा 15 बिस्वा, 475 रकबा 16 बिस्वा और 476 रकबा 8 बिस्वा से बना है । तहत न्यायालय में वादी/अपीलांट द्वारा कथन किया गया कि ख0 नं0 581 बन्दोबस्त से पूर्व धित्तू के नाम खातेदारी में था । धित्तू वादी/अपीलांट का पिता है और बन्दोबस्त विभाग ने सम्वत् 2028 में गलत रूप से कानून के विरूद्ध यह आराजी प्रतिवादी/रेस्पो0 पूरण के नाम दर्ज कर दी । तहत न्यायालय के द्वारा वादी का वाद केवल इस बिनाय पर खारिज किया गया था कि जमाबन्दी सम्वत् 2011 में ख0 नं0 581 व उसके बाद बनने वाले साबिक खसरा नम्बरान का मिलान नहीं खाता है । तहत न्यायालय का यह भी कहना है कि जमाबन्दी सम्वत् 2011 और 2015 के उक्त आराजी के संबधं में रकबे में कमी ज्यादा है । तहत

न्यायालय ने यह कहते हुए कि जो रकबा कम ज्यादा है उसका कोई रेकार्ड पेश नहीं किया । इस बिनाय पर जो दावा खारिज किया है; वह कानून सम्मत नहीं है जो कि विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है । तहत न्यायालय को चाहिए था कि यदि मिलान क्षेत्रफल के अनुसार हाल रकबे और साबिक रकबे में कोई कमी–बेशी है तो वादीगण को जमाबन्दी सम्वत् 2011 और 2015 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित करना चाहिए था । वादीगण के पिता वक्त टिनेन्सी एक्ट एवं जमीदारी बिश्वेदारी उन्मूलन के प्रावधानों के समय ही विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार था । विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त है । सैटलमेन्ट के द्वारा प्रतिवादी पूरण का इन्द्राज़ जमाबन्दियों में करने से यह विवाद पैदा हुए हैं । इससे पहले कोई विवाद नहीं था । पूरण के नाम से खसरा नम्बर 581 क्यों दर्ज किये गये, इसके न ही कोई रजिस्टर्ड बयनामें हैं और न ही कोई सक्षम अधिकारी के आदेश है । अतः अपील अपीलांट इन बिन्दुओं के आधार पर स्वीकार करने का निवेदन किया । साथ ही कानूनी नजीरों का हवाला देते हुए कहा कि बन्दोबस्त विभाग को पूर्व के इन्द्राजों को बदस्तूर इन्द्राज किया जाना चाहिए । बन्दोबस्त विभाग को किसी भी प्रकार के रेकार्ड परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है । अतः अपीलांट/वादी की अपील स्वीकार की जावें तथा विवादित आराजी ख0 नं0 581 का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें ।

रेस्पो0/प्रतिवादी ने बहस जवाब में कथन अंकित किये हैं कि बन्दोबस्त विभाग के द्वारा जो इन्द्राज किये गये हैं, वह सही किये गये हैं और उनके द्वारा तहत न्यायालय के निर्णय को यथावत रखने का आगृह किया गया ।

इस संबंध में हमारे द्वारा तहत न्यायालय की पत्रावली में वाद के तथ्यों तथा रेकार्ड का अवलोकन करने से पाया कि मिलान क्षेत्रफल सम्वत् 2028 के अनुसार हाल आराजी ख0 नं0 581 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा के साबिक ख0 नं0 455 मिन रकबा 6 बिस्वा, 474 मिन रकबा 15 बिस्वा, 475 रकबा 16 बिस्वा, 476 मिन रकबा 8 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 45 बिस्वा से बना है । रेकार्ड जमाबंन्दी सम्वत् 2011 और 2015 के अवलोकन से यह पाया जाता है कि वादीगण के पिता धित्तू विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 455 मिन में 5 बिस्वा, 475 के 16 बिस्वा और 476 मिन के 6 बिस्वा अर्थात कुल किता 3 रकबा 47 बिस्वा के खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं । बन्दोबस्त विभाग की जमाबन्दी का अवलोकन करने पर पाया कि इन खसरा नम्बरान से बने हाल ख0 नं0 581 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा का खातेदार काश्तकार प्रतिवादी पूरण को दर्ज कर दिया है । कानूनी नजीरों के अनुसार बन्दोबस्त विभाग को किसी की खातेदारी या किसी के राजस्व रेकार्ड इन्द्राज को बदलने का अधिकार नहीं है । बन्दोबस्त से पूर्व विवादित आराजी या साबिक खसरा नम्बरान में अपीलांट के पिता खातेदार काश्तकार दर्ज रेकार्ड हैं । अतः बन्दोबस्त विभाग का यह कार्य विधि अनुकूल न होकर विधि विरूद्ध है तथा बन्दोबस्त के द्वारा गलत इन्द्राजों के आधार पर दी गयी खातेदारी काबिल निरस्ती के है ।

चूंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा वादी/अपीलांट का वाद इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि मिलान क्षेत्रफल में अंकित साबिक खसरा नम्बरों का रकबा और जमाबन्दी सम्वत् 2011 व 2015 में अंकित साबिक खसरा नम्बरान का मिलान नहीं खाता है । इस संबंध में न्यायालय का मत है कि यदि साबिक जमाबन्दी के अनुसार और मिलान क्षेत्रफल के अनुसार साबिक खसरा नम्बरों के रकबे में अन्तर है तो जमाबन्दी सम्वत् 2011

और 2015 में दर्ज इन्द्राजों के आधार पर जितने रकबे में अपीलांट के पिता धित्तू खातेदार दर्ज रेकार्ड थे, उतने रकबे का वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाना चाहिए । रेस्पो0 अभिभाषक ने ऐसा कोई भी रेकार्ड एवं दस्तावेज पेश नहीं किया जिसके आधार पर यह कहा जा सकें कि बन्दोबस्त विभाग ने विवादित आराजी को किसी प्रकार से तथा किन आदेशों के तहत प्रतिवादी पूरण की खातेदारी में दर्ज किया है ।

इसलिए उपरोक्त विवेचन के आधार पर वादी/अपीलांट की अपील काबिल स्वीकार किये जाने योग्य है तथा तहत न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.02.2011 काबिल खारिजी के है ।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार जाती है । विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ के निर्णय व डिक्री दिनांक 28.2.2011 निरस्त की जाती है एवं धित्तू के वारिसान वादीगण को उनके हिस्से अनुसार विवादित आराजी साबिक ख0 नं0 455 मिन रकबा 6 बिस्वा में से 5 बिस्वा, साबिक ख0 नं0 475 रकबा 16 बिस्वा सम्पूर्ण एवं 476 मिन रकबा 8 बिस्वा में से 6 बिस्वा कुल रकबा 45 बिस्वा में से 27 बिस्वा का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है । शेष रकबा 455 मिन रकबा 6 बिस्वा में से 1 बिस्वा, 476 मिन रकबा 8 बिस्वा में से 2 बिस्वा एवं साबिक ख0 न0 474 मिन रकबा 15 बिस्वा कुल रकबा 18 बिस्वा का रेस्पो0 पूरण बन्दोबस्त अनुसार खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रेकार्ड रहेगा । उक्तानुसार हाल ख0 नं0 581 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा से अलग–अलग मिन खसरा नम्बरान कायम करते हुए दर्ज राजस्व रेकार्ड किया जावें । खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें । पर्चा डिक्री जारी हो ।

निर्णय आज दिनांक 20.07.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

20/7/18

(कमल राम मीना)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अलवर